भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2576
16 दिसंबर**, 2025** को उत्तरार्थ

विषय- राजसहायता आवंटन
2576. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान उर्वरकों और फसल बीमा के लिए राजसहायता आवंटन में कमी की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त कमी से राजस्थान और अन्य सूखा-प्रवण राज्यों के छोटे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) वर्ष 2018 से स्थिर है। इसी प्रकार, डीएपी का एमआरपी पिछले तीन वर्षों से स्थिर है। मूल्य को स्थिर रखने के लिए, भारत सरकार यूरिया और फॉस्फेटिक एवं पोटैशिक (पी एंड के) उर्वरकों दोनों पर सब्सिडी वहन कर रही है। यूरिया पर वास्तविक व्यय प्राकृतिक गैस और यूरिया उत्पादन में प्रयुक्त अन्य कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और यूरिया के अंतरराष्ट्रीय आयात मूल्यों के साथ बदलता रहता है। फॉस्फेटिक एवं पोटैशिक योजना के तहत, अधिसूचित फॉस्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों पर वार्षिक/द्विवार्षिक आधार पर निर्धारित सब्सिडी की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। उर्वरकों की खपत वर्ष 2023-24 में 646.23 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 705.24 लाख मीट्रिक टन हो गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उर्वरक पर सब्सिडी 1,95,421 करोड़ रुपये थी और वर्ष 2024-25 में यह 1,77,129 करोड़ रुपये थी।

भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत इस योजना को कार्यान्वित करती है। यह योजना मुख्य रूप से क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण से कार्यान्वित की जाती है और इसके अंतर्गत किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर फसलों का व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है। स्वीकार्य दावों की गणना की जाती है और बीमा कंपनियां राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजीक्लेम मॉड्यूल के माध्यम से सीधे बीमित किसान के खाते में भुगतान करती हैं। यह भुगतान संबंधित राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए गए प्रति इकाई क्षेत्र उपज आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, बशर्ते केंद्र और राज्य सरकार से प्रीमियम सब्सिडी में आवश्यक हिस्सा प्राप्त हो चुका हो। यह मांग आधारित योजना है और इसके अंतर्गत राज्यवार निधि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, वर्ष 2024-25में इस योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गई है। पिछले दो वर्षों अर्थात वर्ष 2023-24 से वर्ष 2024-25 के दौरान बजटीय प्रावधान और उपयोग की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक रिलीज़/व्यय**
			(रु. करोड़ में)
2023-24	13,625.00	15,000.00	12,948.50
2024-25	14,600.00	15,864.00	14,772.86

******